क्रमांक 148 / बो.प्र. / नि.स. / 2018 /
कार्यालय प्रमुख अभियंता (बोधी प्रकोष्ठ),
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, अटल नगर, नवा रायपुर

दिनांक / 11 / 2019

अपीलार्थी		प्रतिअपीलार्थी
श्री मनीष सिंह, अधिवक्ता, निवास द्वारा देवेश्वर सिंह (पूर्व विधायक) अस्तबल के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा	—— विरूद्ध ——	श्री एस.के. विश्वकर्मा, जन सूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़ नवा रायपुर

1. सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत श्री मनीष सिंह, अधिवक्ता, निवास द्वारा देवेश्वर सिंह (पूर्व विधायक) अस्तबल के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा द्वारा अपने आवेदन दिनांक 30.09.2019 द्वारा मांगी गई जानकारी नहीं दिये जाने से व्यथित होकर यह प्रथम अपील आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय में दिनांक 4.11.2019 को प्रस्तुत किया गया।

2. प्रकरण के अवलोकन एवं अध्ययन पश्चात उभय पक्षों को सुनवाई हेतु पत्र क्रं. 14235–14236, दिनांक 08 / 11 / 2019 द्वारा दोपहर 3.00 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कक्ष में उपस्थित होने हेतु पत्र प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र के पालन में जनसूचना अधिकारी (स्वास्थ्यगत कारण) अवकाश पर होने एवं अपीलार्थी अनुपस्थित होने के कारण अगली सुनवाई दिनांक 25.11.2019 को निर्धारित किया गया। उक्त पत्र के पालन में प्रकरण की सुनाई हेतु निर्धारित तिथि को जनसूचना अधिकारी उपस्थित हुए एवं अपीलार्थी अनुपस्थि रहे। किन्तु अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपने आवेदन में इस अपील पत्र को ही मेरा पक्ष एवं उपस्थिति मानने हेतु निवेदन किया गया है।

3. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदक के पत्र क्रं- MS / 2138, दिनांक 30.09.2019 के द्वारा चाही गई वांछित जानकारी के संबंध में उनके द्वारा पत्र 4112275 / 101 / छ.ग. / 2019 / 12871, दिनांक 05.10.2019 द्वारा जनसूचना अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित होने के कारण धारा–6(3) (ii) के अंतर्गत मूलतः हस्तांतरित किया गया है। चूँकि शासकीय लोकसेवक प्रमुख अभियंता (श्री जयन्त पवार) पूर्व में मुख्य अभियंता के पद पर कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर में पदस्थ थे। जनसूचनना अधिकारी श्री एस. मिंज, यांत्रिकीय प्रशासकीय अधिकारी, कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर के द्वारा उनके पत्र क्रं. 245 / स्था (सा) मगोक / 2019 / 12031, दिनांक 26 / 10 / 2019 द्वारा अपीलार्थी को अवगत कराया गया कि वांछित जानकारी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है तथा प्रकरण में वांछित जानकारी हेतु प्रथम अपीलीय अधिकारी, श्री डी.सी. जैन, कार्यालय मुख्य अभियंता, गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर को 30 दिवस में अपील कर सकते है लेख किया गया।

4. प्रकरण का अवलोकन मेरे द्वारा किया गया तथा जनसूचना अधिकारी श्री एस.के. विश्वकर्मा, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, रायपुर द्वारा की गई कार्यवाही उचित है, क्योंकि लोक प्राधिकारी वर्तमान में प्रमुख अभियंता श्री जयंत पवार इस कार्यालय में मई, 2019 से पदस्थ है तथा अपीलार्थी द्वारा चाही गई जानकारी (वर्ष 2016, 2017, 2018 एवं 2019 का आयकर Income Tax Return (ITR) उनके पूर्व पदस्थ कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर से संबंधित है। अतः अपीलार्थी को प्रकरण में प्रथम अपील कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर के अपीलीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। अतः अपील प्रकरण अग्रिम कार्यवाही हेतु संबंधित अपीलीय अधिकारी, श्री डी.सी. जैन, कार्यालय मुख्य अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर को हस्तांतरित कर नस्तीबद्ध किया जाता है।

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर

पृ. क्रमांक 148 / बो.प्र. / नि.स. / 2018 / 15053 दिनांक 26/11 / 2019

प्रतिलिपिः—

1. प्रथम अपीलीय अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, महानदी गोदावरी कछार, जल संसाधन विभाग, रायपुर को मूल आवेदन समस्त सहपत्रों सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
2. अधीक्षण अभियंता (MIS), कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, डाटा सेंटर रायपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित। कृपया उक्त आदेश को विभाग (RTI) बेबसाईट में अपलोड कराने का कष्ट करें।
3. श्री एस.के. विश्वकर्मा, जनसूचना अधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, छत्तीसगढ़, रायपुर की ओर सूचनार्थ।
4. श्री मनीष सिंह, अधिवक्ता, निवास द्वारा देवेश्वर सिंह (पूर्व विधायक) अस्तबल के पीछे, अंबिकापुर, जिला सरगुजा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नः—उपरोक्तानुसार (स.क्रं. 1 के लिए)

(व्ही.के. वच्छानी)
अधीक्षण अभियंता (बोधी)
एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी,
कार्यालय प्रमुख अभियंता,
जल संसाधन विभाग,
शिवनाथ भवन, नवा रायपुर